हाईकोर्ट | पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गयी थी याचिका

प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के काफिले को बाधित करने का भेजा था व्हाट्सअप पोस्ट

जबलपुर। पुलिस के द्वारा 24 घंटे से अधिक समय तक अवैधानिक रूप से बंधक बनाकर लॉकअप में रखे जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता ने नगर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के काफिले को बाधित करने का व्हाट्सअप पोस्ट की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से मैसेज करने के इंकार कर दिया गया था। इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किये गये। पेश किये गये दस्तावेज रिकॉर्ड में नही आने के कारण जस्टिस बी पी शर्मा ने याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की गयी है।

नर्मदा रोड ग्वारीघाट निवासी अजीत सिंह आनंद की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि गोरखपुर पुलिस ने 20 जून 2022 की सुबह लगभग 8 बजे घर से अभिरक्षा में लिया था। इसके बाद पुलिस कर्मी उसे गोरखपुर थाने ले गये और 21 जून 2022 की सुबह 9.30 बजे तक लॉकअप में बंद रखा था। उसे थाने में लाने की

एंट्री रोजनामचे में दर्ज की नही गयी थी परंतु छोड़ने के संबंध में की गयी थी।

याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की तरफ से पेष किये गये जवाब में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। याचिकाकर्ता ने नगर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के काफिले को बाधित करने का व्हाट्सअप पोस्ट की थी। लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शनकारी विरोध कर सकते है। प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को वाधित नहीं कर सकते है। व्हाट्सअप मैजेस को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसा मैसेज करने से इंकार कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता तथा व्हाट्सअप पोस्ट के संबंध में जानकारी पेश करने के निर्देश पुलिस को दिये थे। तत्कालीन थाना प्रभारी गोरखपुर की तरफ से हाईकोर्ट में इस संबंध में दस्तावेज पेश किए थे। दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं होने एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की है।

राजमार्गों से अवैध कट-प्वाइंट्स हटाने को लेकर याचिका दायर

जबलपुर। प्रदेश से गुजरने वाले राजमार्गों में अवैध कट-प्वाइंट्स को चुनौती देते हुए इन्हें हटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दायर मामले में कहा गया है कि इनके कारण एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में सडक़ परिवहन मंत्रालय के सचिव, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग के एसीएस व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। यह जनहित का मामला डिंडोरी निवासी सेवानिवृत्त अधिकारी महावीर सिंह की ओर से दायर किया गया है। जिन्होंने सुनवाई दौरान अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि जब ओला-उबर जैसी गाडियां दो मिनट के भीतर पहुंच जाती हैं, तो एंबुलेंस क्यों नहीं पहुंचती है। उन्होंने बताया कि भोपाल-जबलपुर हाईवे में डिवाईडर तोडक़र 300 कट बना लिए हैं, इससे स्पीड कम होती है और दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। आवेदक की ओर से दी गई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब किया है।

एफआईआर निरस्त कर नये सिरे से दर्ज करने के आदेश

हाईकोर्ट के जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि न्यायिक आदेशों का पालन महज औपचारिकता निभाने या दिखावा करने तक सीमित नहीं हो सकता। एकलपीठ ने ओमती थाना जबलपुर में दर्ज एफआईआर अपूर्ण, भ्रामक और अदालत के आदेश की भावना के विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दी। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि नए सिरे से सही एफआइआर दर्ज करें। कोर्ट ने के पूर्व निर्देश के पालन में ओमती थाना प्रभारी व एएसआई हाजिर रहे। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी वीरेंद्र पांडे की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, विनीत टेहेगुनिया, प्रशांत सिरमोलिया व शुभम पाटकर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में पदस्थ हैं और उसका वैवाहित विवाद चल रहा है। ससुराल पक्ष ने एक आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय के नाम से फर्जी लिफाफा तैयार कर यह दर्शाया गया कि याचिकाकर्ता को नोटिस मिल चुका है। इसी फर्जीवाड़े के आधार पर एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया गया। बाद में जब याचिकाकर्ता को इस कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, तब उसने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत पर रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश (चतुर्थ) जबलपुर द्वारा प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें संबंधित लिफाफे के फर्जी होने की पुष्टि हुई। इसके पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर ने अपने पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज कराने अथवा सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। याचिकाकर्ता ने थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने थाना ओमती को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन पुलिस ने एफआईआर के नाम पर महज औपचारिकता की पूर्ति की। आरोपियों के नाम, पते में नरसिंहपुर, ओमती, जबलपुर सहित अन्य त्रुटियां की गईं। ऐसा इसलिए ताकि भौगोलिक परेशानी सामने आए और जांच ठप रहे। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त कर उक्त निर्देश दिये।

बस के पहिए के नीचे आने से युवक की मौत

दीनदयाल चौराहे पर दर्दनाक हादसा

जबलपुर। विजय नगर थाना अंतर्गत दीनदयाल चौराहे पर सोमवार की रात एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। दरअसल दमोहनाका की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने सड़क पार कर रहे युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना वीभत्स था कि बस का पहिया युवक के सिर को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन कर बस को जब्त कर लिया। जबकि चालक मौके से फरार हो गया था। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार यात्रियों को बस में शिफ्ट कर गंतव्य की ओर रवाना किया। पुलिस आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक नवीन सोंधिया (32) निवासी सिवनी लखनादौन का सोमवार रात करीब 7:30 बजे वह दीनदयाल चौराहे के पास सड़क पार कर रहा था, तभी बस क्रमांक एमपी 41 पी 7711 काल बनकर आई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक वाहन को अत्यंत लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। हादसे के बाद चौराहे पर चीख-पुकार मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही विजय नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया और दुर्घटनाकारी बस को जब्त कर लिया। बस में सवार यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने उन्हें दूसरी बस में शिफ्ट कर गंतव्य की ओर रवाना किया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

27 बसों की हुई जांच,एक वाहन जब्त

स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकु शर्मा एवं संभागीय परिवहन उड़न दस्ता टीम द्वारा सोमवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों सेंट अलॉयसियस, सदर बाजार, राइट टाउन, नेपियर टाउन, रसल चौक एवं जीसीएफ क्षेत्र में संचालित स्कूल वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 27 स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिनमें से जीसीएफ क्षेत्र में संचालित एक वाहन (क्रमांक एमपी 20 बीपी 3660) को नियमों के उल्लंघन पर जब्त किया गया। जांच के दौरान स्कूल वाहन प्रभारियों को छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु परिवहन से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस

विशेष अभियान में प्रभारी राजेंद्र साहू, उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक इम्तियाज हुसैन, पीयूष मरावी, आशुतोष मोघे, उमाशंकर उपाध्याय, अशोक खार्पडे, निमिषा तिवारी सहित समस्त स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही।

प्रतिबंध के बावजूद चल रहे थे एलपीजी वाहन

कलेक्टर जबलपुर द्वारा 23 फरवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार एलपीजी से संचालित वाहनों द्वारा स्कूली बच्चों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इस पर अधिकारियों ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को केवल मान्यता प्राप्त एवं सुरक्षित वाहनों से ही स्कूल भेजें।

बहराइच से नाबालिग को दस्तयाब कर लौट रही जबलपुर पुलिस की कार का पहिया निकला

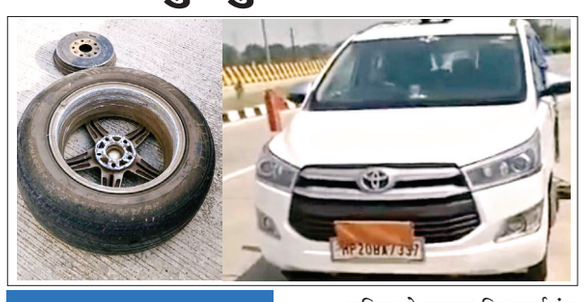

ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, टीम समेत बालिका सुरक्षित

जबलपुर। अपहरण के मामले में एक 16 वर्षीय नाबालिग को उत्तर प्रदेश के बहराइच से बरामद कर लौट रही जबलपुर पुलिस टीम सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। दरअसल सोमवार सुबह चलती गाड़ी का पिछला पहिया अचानक निकल गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया और वाहन में सवार टीम, बालिका सभी सुरक्षित हैं।

पुलिस ने बताया कि लार्डगंज थाना क्षेत्र से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिजनों ने पहले तो अपने स्तर पर खोजबीन की लेकिन जब उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा तो वे थाने पहुंचे थे। शिकायत और अपहरण की आशंका पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू की थी। इस बीच मुखबिर और तकनीकी सुराग के आधार पर पुलिस को पता चला कि लड़की उत्तर प्रदेश में है। 25 अप्रैल को लॉर्डगंज पुलिस की एक टीम यूपी रवाना हुई और बहराइच में एक रिश्तेदार के घर से नाबालिग को दस्तयाब कर लिया।

ओवरब्रिज पर बेकाबू हुई कार

सोमवार सुबह करीब 8 बजे जब पुलिस टीम नाबालिग को लेकर जबलपुर लौट रही थी, तभी प्रयागराज के पास ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार वाहन का पिछला चक्का अचानक जोरदार झटके के साथ बाहर निकल गया। पहिया निकलते ही कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लहराने लगी। मौके पर मौजूद ड्राइवर ने बिना घबराए तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी को संभाला और किनारे रोका।

देर रात पहुंचे शहर

राहत की बात यह है कि इस घटना में नाबालिग लड़की, पुलिस टीम सुरक्षित रहे। वाहन खराब होने के कारण टीम के जबलपुर पहुंचने के समय में बदलाव हुआ पहले यह टीम दोपहर तक जबलपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन एक्सीडेंट के चलते टीम देर रात तक शहर पहुंची।

याचिका दायर होते ही आरक्षक पर एफआईआर दर्ज

अधिवक्ता के साथ की थी मारपीट वीडियो हुआ था वायरल

जबलपुर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत समीक्षा टाउन में 11 अप्रैल को मामूली विवाद पर अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले आरक्षक के खिलाफ पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है।

विदित हो कि समीक्षा टाउन सिविल लाइन निवासी अधिवक्ता पंकज शर्मा के घर के पास 11 अप्रैल की शाम कुछ बच्चे शोर-शराबा कर रहे थे। अधिवक्ता ने बच्चों को शांत रहने के लिए कहा

था और शोर का विरोध किया था। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले और मदन महल थाने में पदस्थ आरक्षक साकेत तिवारी वहां पहुंचे थे बच्चों की बात पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसके बाद आरक्षक ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की थी। हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अधिवक्ता ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी। वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपे थे। तीन घंटे थाने में बैठाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय समझौता करने का दबाव बनाया था। पुलिस आरक्षक साकेत तिवारी के खिलाफ लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होन पर अधिवक्ता ने 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की की है। जिसके बाद पुलिस ने अब आरक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE सत्यमेव जयते

तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान योजना (क्यू.आर.एम.पी)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 5 करोड़ तक के सकल वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए व्यापार सरल बनाने की दिशा में कदम

क्यू.आर.एम.पी योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र करदाता जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर निम्न प्रक्रिया द्वारा इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं:

करदाता इंटरफेस पर लॉग इन करें

Services>Returns>Opt-in for quarterly return पर जाएं

वर्तमान में क्यू.आर.एम.पी योजना का लाभ उठा रहे करदाताओं को योजना के लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है

लाभ

- तिमाही में सिर्फ एक बार जी.एस.टी. स्टेटमेंट/रिटर्न फॉर्म, जी.एस.टी.आर.-1 और फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3बी में फाइल करें
- योजना को अपनाना/छोड़ना सरल
- फ्लेक्सिबल इनवॉयस दाखिल करने की सुविधा का लाभ उठाएं
- हर तिमाही में एक बार ITC और कर का स्वयं-मूल्यांकन
- तिमाही के पहले दो महीनों में फिक्स्ड सम विधि (पहले से भरा हुआ चालान) अथवा स्वयं मूल्यांकन विधि (ITC को सम्मिलित करके वास्तविक करदेयता) द्वारा मासिक कर का सरलतापूर्वक भुगतान करने की सुविधा

वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही से क्यू.आर.एम.पी योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026

पात्र पंजीकृत व्यक्ति किसी तिमाही के लिए योजना का विकल्प, उसकी पिछली तिमाही के दूसरे महीने के पहले दिन से लेकर तिमाही के पहले महीने के अंतिम दिन तक चुन सकता है

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिसूचना सं. 81 से 85/2020-केंद्रीय कर और परिपत्र सं. 143/13/2020-जीएसटी दिनांक 10.11.2020 को देखें

जीएसटी रिटर्न दाखिल करना: तीव्र, आसान और सरलीकृत

क्यू.आर.एम.पी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कैन करें

@cbicindia @cbic_india @cbicindia @CBICINDIA @CBIC india

CBC 15502/13/0002/2627

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57